

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।

विषय:-


स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ,
लघुशीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष-17-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में परामर्शी शुल्क विपत्र
कोड-40S20S20009017000331 में व्यय हेतु कुल ₹5,00,000/- (रूपये
पाँच लाख) मात्र का आवंटन।
राँची, दिनांक-17-01-2023

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत मुख्यालय के पदाधिकारियों/कर्मियों के
वेतनादि एवं अन्य व्यय हेतु कुल ₹5,00,000/- (रूपये पाँच लाख) मात्र की राशि
आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑनलाईन आवंटन भी दिया गया है।(DDO CODE-PRJSGS 007)
3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998,
322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं 245/बजट,
दिनांक-30.03.2022, पत्रांक-437/बजट, दिनांक-08.08.2022 तथा
पत्रांक-692/बजट, दिनांक-27.12.2022 के आलोक में दिया जा रहा है।
4. राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों
एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया
जाय।
5. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय
अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. राशि की निकासी से संबंधित व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ
प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभागीय बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय।
7. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना
हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2023 तक अवश्य कर दिया जाय।
8. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,




(कमल किशोर सोन)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-

119/अ/राँची, दिनांक-17-01-2023

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय
कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/विभागीय लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।



प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- 17-01-2023

विषय:-


स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ,
लघुशीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष-17-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में परामर्शी शुल्क विपत्र
कोड-40S20520009017000331 में व्यय हेतु कुल ₹5,00,000/- (रूपये
पाँच लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत मुख्यालय के पदाधिकारियों/कर्मियों के
वेतनादि एवं अन्य व्यय हेतु कुल ₹5,00,000/- (रूपये पाँच लाख) मात्र की राशि
आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑनलाईन आवंटन भी दिया गया है।(DDO CODE-PRJSGS 007)
3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998,
322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं 245/बजट,
दिनांक-30.03.2022, पत्रांक-437/बजट, दिनांक-08.08.2022 तथा
पत्रांक-692/बजट, दिनांक-27.12.2022 के आलोक में दिया जा रहा है।
4. राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों
एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया
जाय।
5. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय
अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. राशि की निकासी से संबंधित व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ
प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभागीय बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय।
7. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना
हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2023 तक अवश्य कर दिया जाय।
8. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,



(कमल किशोर सोन)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-

11/9/21 राँची, दिनांक- 17-01-2023

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय
कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/विभागीय लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।